हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

49 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

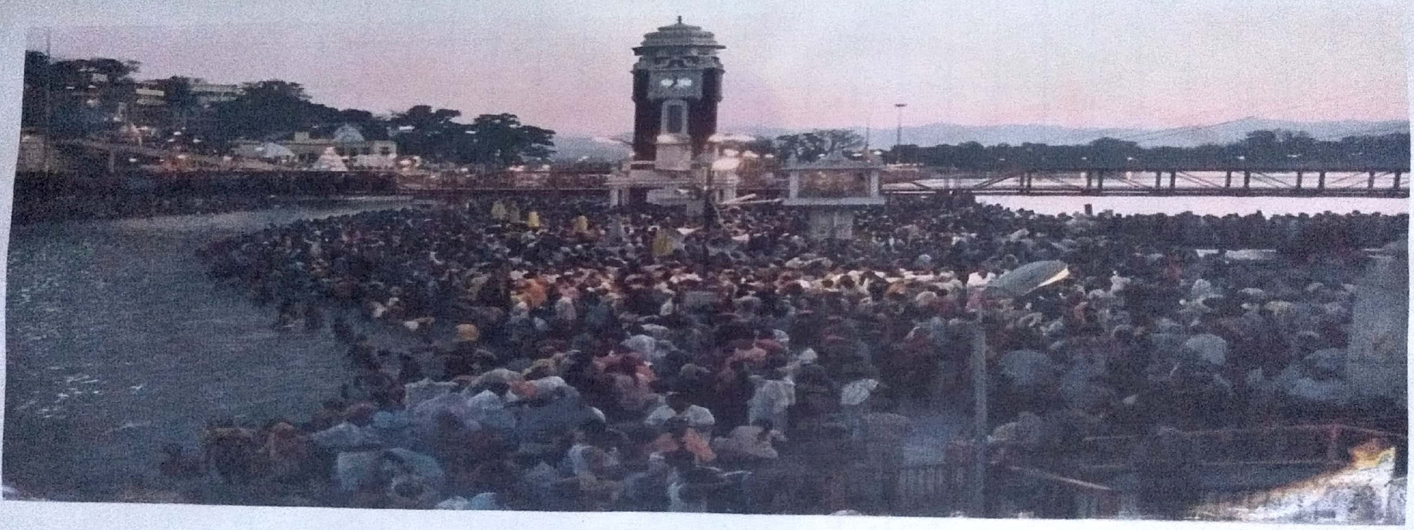

दिनांक 16.09.2010

समयः पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार (सभागार)

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	46 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	1 से 6 तक
2	47 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	7
3	48 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	8
4	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –01	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित आय–व्ययक। वित्तीय वर्ष 2009–10 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	9 से 13 तक
5	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –02	श्रीमति पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0 गर्ग फूड प्रा0 लि0 रावली महदूद , सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या– मान / हरि / एस0डब्लु–40 / 2010–11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	14
6	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –03	श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला, ग्राम सलेमपुर महदूद भाग–2, जिला हरिद्वार , सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या– मान / हरि / एस0डब्लु–41 / 2010–11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	15
7	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –04	ग्राम भोपतवाला कलॉ, हरिद्वार खसरा नं0– 50 / 06, एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे।	16
8	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –05	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।	17
9	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –06	प्राधिकरणो में कार्यरत नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किए जाने के सम्बन्ध में।	18
10	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –07	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/नियुक्ति के सम्बन्ध मे।	19
11	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –08	प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार।	20
12	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –09	श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	21
13	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –10	श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	22
14	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –11	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	23
15	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –12	आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति विषयक।	24
16	49 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –13	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	25

प्राधिकरण की 46 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.05.2009 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 46 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 46 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.05.2009 की अनुपालन आख्या :-

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
46.मद संख्या-1	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009-10 का प्रस्तावित आय व्ययक।	वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त आय-व्ययक का सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि कम से कम 6 माह में एक बार प्राधिकरण की वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में रिव्यू अवश्य किया जाय एवं इन्द्र लोक योजना भाग-2 में व्यय 20.00 करोड किया जाये। अतः इस संशोधन के साथ बजट स्वीकृत किया गया। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विभिन्न स्कीमों की Financial Analysis की जाये तथा हर 6 माह में Performance Report प्रस्तुत की जाये।	निर्णय के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अनुमोदित आय-व्ययक के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त अवधि की परफोर्मेंस रिपोर्ट संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।
46.मद संख्या-2	प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006- 2025 पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावों के सम्बन्ध में ।	एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की सस्तुतियों के सम्बन्ध में सक्षेप में अवगत कराया गया। विचार विमर्श उपरान्त महोदय द्वारा एस0टी0सी0पी0 को यह निर्देश दिये गये कि 45 दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में बोर्ड की एक विशेष बैठक करा कर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष किया जाय।	एस0टी0सी0पी द्वारा आपत्तियों सुझावो के पश्चात समिति की संस्तुति मूल रूप में प्राधिकरण की 47 वीं बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की ओर से एस0टी0सी0पी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड को प्राधिकृत करते हुये निर्णय लिया गया कि एस0टी0सी0पी0 लिये गये निर्णय को समायोजित करते हुये हरिद्वार महायोजना को अन्तिम रूप देकर विलम्बतः 15. 11.2009 तक शासन के समक्ष अनुमोदनार्थ

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 49वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16-09-2010 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 49वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16-09-2010 को अध्यक्ष, ह0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी :-

बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री अजय सिंह नबियाल, आयुक्त, गढवाल मण्डल — अध्यक्ष
2. श्री चन्द्रशेखर भट्ट उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0, हरिद्वार — उपाध्यक्ष
3. श्री एस0एन0पाण्डे, ए.डी.एम. हरिद्वार (जिलाधिकारी के प्रतिनिधि) — पदेन सदस्य
4. श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड । — पदेन सदस्य
5. श्री हरबीर सिंह, प्रशासक, नगर पंचायत रानीपुर, हरिद्वार। — पदेन सदस्य
6. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश — पदेन सदस्य
7. श्री राजेश कुमार, परियोजना प्रबन्धक (सचिव पेयजल के प्रतिनिधि) — पदेन सदस्य
8. श्री डी0डी0डालाकोटी, अधिशासी अभियन्ता, (सचिव सिंचाई के प्रतिनिधि) — पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष /आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद सं0-46 प्राधिकरण की 46वीं बोर्ड बैठक दि0 25-05-2009 के कार्यवृत्त में निम्नवत मदों में कतिपय सुझाव /मार्गदर्शन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये तथा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया एवं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

46(1) हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009-10 का प्रस्तावित आय व्ययक तथा उक्त अवधि की परफार्मेन्स रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि परफोर्मेन्स रिपोर्ट समय से तैयार करायी जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

46(2) प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006-2025 पर प्राप्त आपत्तियों /सुझावों के सम्बन्ध में बैठक के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

46(3) ऋषिकेश महायोजना भाग-ब का प्रारूप (वर्ष 2011-2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में । बैठक के निर्णय के अनुपालन में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र सं0-2964 दि0 18-01-2010 के क्रम में बिड डाक्यूमेन्ट की हिन्दी रूपान्तर की कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ नियोजक को भेजने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

46(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एव पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक।निर्णय के अनुपालन में प्रकरण एस0टी0सी0पी0 से परामर्श हेतु प्रेषित किया गया था। एस0टी0सी0पी0 द्वारा अपने पत्र सं0-1682/नग्रानि/ह0वि0प्रा0तकनीकी/2009 दि0 16 जुलाई 2009 द्वारा कतिपय सूचनाएँ मांगी गई थी जिस पर प्राधिकरण को तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary — Vice Chairman — Chairman /Commissioner

			प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। उक्त निर्णय के अनुपालन में एस0टी0सी0पी0 द्वारा अपने पत्र संख्या– 2625 दिनांक 25.11.2009 के द्वारा हरिद्वार महायोजना की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, आवास उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया गया। हरिद्वार महायोजना–2025 का अनुमोदन शासन स्तर से प्रदान किया जाना है।
46.मद संख्या–3 :	ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–ब (ऋषिकेश महायोजना) में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि एस0टी0सी0पी0 उत्तराखड, देहरादून द्वारा भौतिक सर्वे करा लिया जाये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या–953 दिनांक 24.06.2009 के द्वारा वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, देहरादून को ऋषिकेश महायोजना का सर्वेक्षण आदि तैयार किये जाने हेतु सूचित किया गया। वरिष्ठ नियोजक, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या– 1582 दिनांक 07.07.2009 एवं 1692 दिनांक 16.07.2009 द्वारा ऋषिकेश महायोजना तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्टी के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु बिड डाक्यूमेन्ट उपलब्ध कराये गये थे। बिड डाक्यूमेन्ट की प्रति शासन को कार्यालय पत्र संख्या– 1528 दिनांक 26.08. 2009 प्रेषित करते हुये उसपर स्वीकृति मॉगी गयी थी। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–1845 दिंनाक 15.12.2009 द्वारा बिड डाक्यूमेन्ट की हिन्दी रूपान्तर मॉगी गयी है। हिन्दी रूपान्तर करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या– 2964 दिनांक 18.01.2010 के द्वारा वरिश्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को सूचित किया गया है। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या–177 दिनांक 03.02.2010 के द्वारा हिन्दी रूपान्तर प्राधिकरण स्तर से कराने का अनुरोध किया गया है। हिन्दी रूपान्तरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

46.मद संख्या–4 :	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक	विचार विमर्श के उपरान्त ऐसे भवनों का विस्तृत सर्वे कर (जिसमें विशेषज्ञों की भी राय ली जा सकती है एवं एस0टी0सी0पी0 से परामर्श लेते हुए) नीतिगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक विस्तृत सर्वे एवं विशेषज्ञों की राय तथा एस0टी0सी0पी0 से परामर्श हेतु प्रकरण इस कार्यालय के पत्र सं0 833 दिनांक 12.06.2009 के द्वारा एस0टी0सी0पी0, उत्तराखड, देहरादून को भेजा जा चुका है। एस0टी0सी0पी0 उत्तराखड, देहरादूनसे कोई उत्तर अभी प्राप्त नही हुआ है।
46.मद संख्या–5 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण को स्वीकृत करते हुये यह निर्देश दिये गए कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि पूर्व में तैयार की गई योजना से संभावित आय कम न हो।	निर्णय के अनुपालन में आय का आंकलन किया गया। ग्रुप हाउसिंग के निर्माण से पूर्व की योजना से कम आय नही होगी। योजना के कियान्वयन हेतु पैनल आर्किटेक्ट मे आर्किटैक्ट का चयन कर योजना तैयार करायी जा रही है। आर्किटैक्ट द्वारा योजना का प्लान प्रस्तुत किया गया है।
46.मद संख्या–6 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के सम्बन्ध में चयनित आर्किटेक्ट द्वारा योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अपेक्षा की गयी कि माह अक्टूबर 2009 तक इस योजना पर निर्माण को अवश्य प्रारम्भ कर दिया जाय।	योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आर0एफ0पी0 एवं आर0एफ0 क्यू0 तैयार किया जा रहा है।
46.मद संख्या–7 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी ।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत जिन भूखण्डों की बिकी नहीं हो पा रही है उस क्षैत्रफल को ग्रिड में परिवर्तित करते हुये मांग की आवश्यकतानुसार प्लाट काटकर निस्तारित किया जाये। ट्रांसपोर्टर को इस योजना मे शिफ्ट करने का प्रयास किया जाय ताकि शीघ्र ट्रांसपोर्ट नगर को प्रारम्भ किया जा सके।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में तलपट मानचित्र तैयार कर लिया गया है।

46(5) इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस पर सुनियोजित विकास हेतु एस0टी0सी0पी0 से विस्तृत परीक्षण एवं परामर्श उपरान्त उक्त कार्ययोजना को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

46(6) इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस पर सुनियोजित विकास हेतु एस0टी0सी0पी0 से विस्तृत परीक्षण एवं परामर्श उपरान्त उक्त कार्ययोजना को त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

46(7) ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0को अधिकृत किया गया बैठक में यह भी तथ्य अध्यक्ष /आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना शहर के व्यस्त इलाके में न होने के कारण ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित व्यवसायी इस योजना में आने के इच्छुक नहीं है जिस पर अध्यक्ष /आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित व्यवसायियों के साथ गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बहादराबाद के आस–पास वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि भी देख ली जाय।

46(8) श्री डी0के0अग्रवाल हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में । श्री डी0के0अग्रवाल द्वारा बोर्ड के निर्णयानुसार अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

46(9) ग्राम अहमदपुर कडच्छ, परगना ज्वालापुर हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार रूडकी मुख्य मार्ग पर सैनी आश्रम के सामने होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक निर्णय के अनुपालन से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(10) निदेशक मैसर्स सीरिन टूरिज्म वैंचर्स, ग्राम घुघत्यानी तल्ली जिला टिहरी गढवाल के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक प्रस्ताव निर्णय के अनुपालन में शासन को सन्दर्भित किया जा चुका है, अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(14) निदेशक मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक प्रस्ताव निर्णय के अनुपालन में शासन को सन्दर्भित किया जा चुका है, अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(15) बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक प्रस्ताव निर्णय के अनुपालन में शासन को सन्दर्भित किया जा चुका है, अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(16) कु0ऋतु पाठक पुत्री श्री यशपाल पाठक शिवलोक योजना भाग–2 में भवन सं0–एच–10ए में किश्त गणना त्रुटि सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में आवंटी को लीज डीड की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, अत : प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(17) श्रीमती जानकी पाण्डेय पत्नी श्री भोलादत्त पाण्डेय शिवलोक भाग–2 में भवन सं0–एच–9ए में किश्त गणना त्रुटि सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में आवंटी को लीज डीड की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, अत : प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(18) श्रीमती पुनीता सहगल शिवलोक भाग–2 में भवन सं0–3बी प्रथम तल में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि गणना की त्रुटि हेतु हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों की संलिप्तता तो नहीं है, इस बिन्दु की जॉच की जाय तथा त्रुटि हेतु गणना की जॉच को गम्भीरता से लिया जाय।

46(20) प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त लेखपाल के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन कार्यवाही की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

46(21) हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अन्तर्गत हरिद्वार एवं मुनिकीरेती में ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अनुमति चाही गई थी, जो कि अपेक्षित है। हरिद्वार क्षेत्र में अभी तक भूमि का चयन नहीं किया जा सका है, इसकी आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है। मुनिकीरेती में भूमि की आवश्यकता हेतु शासन को अनुस्मारक भेजा जाय।

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

46.मद संख्या–8 :	श्री डी0के0 अग्रवाल , हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद।	श्री डी0के0अग्रवाल, श्यामपुर, हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग, जिला देहरादून के शमन प्रार्थना पत्र 03.03.05 के सम्बन्ध में प्राधिकरण विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम पक्ष द्वारा जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया है उसे तोडने के पश्चात एक माह के अन्दर स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।	निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
46.मद संख्या–9 :	ग्राम अहमदपुर कडच्छ, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार–रूड़की मुख्य मार्ग पर सैनी आश्रम के सामने होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक ।	विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत एवं औचित्यपूर्ण विवरण तकनीकि दृष्टिकोण एवं उपविधि के आधार पर तैयार कर परिचालन विधि से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में आवेदक को भू–स्वामित्व व मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। आवेदक द्वारा अभी तक नियमानुसार मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रकरण निरस्त करते हुये एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।
46.मद संख्या–10 :	निदेशक, मैसर्स सीरिन टूरिज्म वैंचर्स, ग्राम घुघत्यानी तल्ली जिला टिहरी गढवाल के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक के प्रार्थना–पत्र एवं शासन के पत्र दिनांक 07.05.2010 के कम में भू–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जा चुका है।
46.मद संख्या–11	श्री मोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव अलग से मद **संख्या–49/09** पर प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
46.मद संख्या–12 :	श्री मोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव अलग से मद **संख्या–49/10** पर प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

46.मद संख्या–13 :	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव अलग से मद **संख्या–49/11** पर प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
46.मद संख्या–14 :	निदेशक, मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक के प्रार्थना–पत्र पर मा0 अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के पत्र संख्या– 1354 दिनाक 06.03.2010 के कम में भू–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जा चुका है।
46.मद संख्या–15 :	बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर, हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में भू–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जा चुका है।
46.मद संख्या–16 :	कु0 ऋतु पाठक पुत्री श्री यशपाल पाठक शिवलोक योजना भाग–2 में भवन संख्या–एच–10ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।	बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवंटी को लीजडीड की जा चुकी है।
46.मद संख्या–17 :	श्रीमती जानकी पाण्डेय पत्नी श्री भोलादत्त पाण्डेय शिवलोक भाग–2 में भवन संख्या–एच–9ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।	बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवंटी को लीजडीड की जा चुकी है।
46.मद संख्या–18 :	श्रीमती पुनीता सहगल शिवलोक आवासीय योजना भाग–2 में भवन संख्या : एम–3बी0 प्रथम तल में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध में ।	बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।	प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त नहीं थे जिस कारण आवंटी को देय धनराशि जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में वाद योजित किया गया जो विचाराधीन है।

46.मद संख्या–19 :	कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि में मूल वेतन, डी0पी0 वेतन एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान योजना लागू करने के सम्बन्ध मे।	इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।	निर्णय के अनुपालन में शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0 908 दिनांक 16.06.2009 को संदर्भित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–465/अ/10–11 (आ0)/10 दिनॉक 25 मार्च 2010 के द्वारा प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखते हुये लागू किया जाये इस सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अलग से **मद संख्या–49/06** पर प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
46.मद संख्या–20 :	प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त लेखपाल के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत लेखपाल के पारिश्रमिक को रू0 3000 से बढ़ाकर रू0 4500 किये जाने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में माह जून 2009 से बढ़ी हुई दर रू0 4500 के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।
46.मद संख्या–21 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल का निर्माण कार्य कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषयक ।	बोर्ड द्वारा निर्देशित की O & M पर विचार कर इसके लिये एक कार्य योजना तैयार की जाय। हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।	उक्त भूमि पर निर्माण की अनुमति हेतु शासन से कार्यालय पत्र संख्या–912 दिनांक 19.09.2009, 2987 दिनांक 22.01.2010 तथा 6061 दिनांक 22.06.2010 के द्वारा अनुरोध किया गया है। शासन से उक्त भूमि पर निर्माण की स्वीकृति अपेक्षित है।
46.मद संख्या–22 :	**अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से**		
	हरिद्वार ज्वालापुर रोड़ पर आर्यनगर चौक के समीप श्री मति नीता रानी व श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक।	विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर विस्तृत एवं औचित्यपूर्ण विवरण तैयार कर परिचालन विधि से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में आवेदक को भू–स्वामित्व व मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। आवेदक द्वारा अभी तक नियमानुसार मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रकरण निरस्त करते हुये एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

प्राधिकरण की 47 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.09.2009 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 47 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 47 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.09.2009 की अनुपालन आख्या :–

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
47.मद संख्या–1	**प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियों /सुझावों के सम्बन्ध में ।** एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में संक्षेप में अवगत कराया गया। विचार विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा एस0टी0सी0पी0 को यह निर्देश दिये गये कि 45 दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में बोर्ड की एक विशेष बैठक करा कर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष किया जाय। इस सम्बन्ध में एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित महायोजना प्रारूप 2006–2025 पर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है । कृपया विचारार्थ प्रस्तुत।	प्राधिकरण की 47 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त एवं आपत्ति/सुझावों के पश्चात् समीति की संस्तुति मूल रूप में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 08 के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना को अन्तिम रूप देने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने कार्यालय के पत्र संख्या 2386 दिनांक 16.11. 2009 के माध्यम से प्रेषित की गयी।	निर्णय के अनुपालन में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा हरिद्वार महायोजन 2025 की स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2526/नग्रानि/हरिद्वार महायोजना–2025/2009 दिनांक 25.11. 2009 (संलग्नक–2) द्वारा शासन को संदर्भित किया जा चुका है।

मद सं0–47 (1) प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियों /सुझावों के सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–48 (1) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0–49 (01) उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राविधानित आय–व्ययक प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कतिपय राजस्व मदों में अनुमानित आय विविध वर्षो की प्राप्तियों के सापेक्ष कम प्रदर्शित किया गया है, जबकि प्राप्तियॉ अधिक होने की संभावना है। विचारोपरान्त प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत संशोधिक आय–व्यक 2010–11 संलग्नक–1 अनुमोदित किया गया है।

मद सं0–49 (02) उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष श्रीमती पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0गर्ग फूड प्रा0लि0रावली महदूद, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार का होटल मानचित्र सं0–मान0/हरि0/एस0डब्लू–40 /2010–11 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर उनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेंकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की सम्भावना न रहें। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।

मद सं0–49 (03) उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला ग्राम सलेमपुर महदूद भाग–2, जिला हरिद्वार, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार का होटल मानचित्र सं0–मान0/हरि0/ एस0डब्लू–41 /2010–11 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर उनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेंकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की सम्भावना न रहें। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।

मद सं0–49 (04) उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के समक्ष ग्राम भोपतवाला कलॉ, हरिद्वार खसरा नं0–50 /06 एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस का होटल मानचित्र की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्राधिकरण प्रस्तावित स्थल का सी0टी0सी0पी0 से स्थलीय निरीक्षण करवाकर उनके परामर्श के अनुसार आवेदक से आवश्यक अन्डरटेंकिंग प्राप्त करें ताकि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण में विचलन की सम्भावना न रहें। सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत मानचित्र की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया।

Secretary Vice Chairman Chairman /Commissioner

प्राधिकरण की 48 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.12.2009 को परिचालन विधि से आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 48 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 48 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.12.2009 की अनुपालन आख्या :–

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
48.मद संख्या–1	**हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध में।** उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग के पत्र संख्या–1927/V –आ0–2009–153 (आ)–09 दिनांक 06.10.2009 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण के नियमित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव का परीक्षण कर प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित आवश्यक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को अपलब्ध कराया जाय। हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के नियमित कार्मिकों का दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत निर्धारित करते हुए एरियर राशि तैयार की गयी है। कुल एरियर अनुमानित राशि लगभग रूपया –47,64,876–00 है जिसको शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10,2010,11 एवं 2011–12 में समानुपातिक भुगतान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विगत 3 वर्ष का आय–व्ययक तैयार किया गया है जो कि संलग्न है, इसके अनुसार वर्ष 2006–2007 से वर्ष 2008–09 तक रूपया–887.34 लाख की बचत हुयी है। तथा आगामी 3 वर्षों 2009–10 से 2011–12 तक रूपया 312.75 लाख की बचत प्रस्तावित है। इसके साथ ही अवगत कराना है कि प्राधिकरण के ऊपर किसी भी वित्तीय संस्थान/शासन की कोई देयता नहीं है। उपरोक्त से सपष्ट है कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अत्यन्त की सुदृढ़ है तथा छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुति दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान एवं उसके बकाया की राशि का भुगतान करने में सक्षम है। अतः परिचालन विधि के माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि प्राधिकरण में पुनरीक्षित वेतनमान 01.01.2006 से लागू करते हुये वेतन एवं देय बकाया की राशि शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दिया जाय और निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव शासन का प्रेषित कर दिया जाय। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सहमति प्रदान करते हुये प्रस्ताव की स्वीकृति शासन से ही प्राप्त होगी बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या 2826 दिनाक 02.01.2010 द्वारा शासन को संदर्भित किया गया। शासनादेश संख्या **14/V–10–153(आ0)–09** दिनांक **29.3.10** द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन मे प्राधिकरण में दिनांक **10.05.2010** द्वारा नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

मद सं0–49 (05) हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम **(MACPS)** के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए निर्देश दिये गये है कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित जाय।

मद सं0–49 (06) प्राधिकरण में नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0सी0एफ0)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण में शासनादेश को अंगीकृत करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की सहमति /संस्तुति से शासन को अवगत कराया जाय।

मद सं0–49 (07) श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से रिक्त आशुलिपिक पद पर पदस्थानापन्न /समायोजन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आशुलिपिक पद हेतु न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में कार्यालय स्तर पर परीक्षण कर लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाय।

मद सं0–49 (08) प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु औचित्यपूर्ण संस्तुति अध्यक्ष /आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रेषित की जाय।

मद सं0–49 (09) श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू–उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

मद सं0–49 (10) श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू–उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

मद सं0–49 (11) श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि प्रस्तावित महायोजना में भू–उपयोग चाहे गये उपयोग के अनुरूप हो, तदनुसार ही प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

Secretary | Vice Chairman | Chairman /Commissioner

संलग्नक - 1

संलग्नक 1

मद संख्या–49(01)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित आय–व्ययक।

वित्तीय वर्ष–2009–10 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु

प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(Rs. In lac)

		Actual 2006-07	Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Proposed 2010-11	Up to 31.08.10
	Op. Balance	281.19	13352.17	2219.79	2771.88	3363.22	3363.22
A	Revenue Income						
1	stamp duty	256.86	191.69	361.29	0.00	0.00	0.00
2	Int. on investments	476.24	66.13	90.34	111.38	115.00	0.00
3	Map Fee	46.51	95.96	100.63	152.56	200.00	0.00
4	Comp. Fee	93.17	59.90	162.14	195.73	300.00	12.30
5	Supervision Fee	12.53	8.67	25.71	34.75	40.00	46.17
6	Other Income (Tender, Leas rent Etc.)	3.41	5.43	4.18	12.50	15.00	2.60
7	Development Fee	152.42	218.69	301.08	494.45	600.00	0.44
8	Land use conversion. Fee	44.71	15.62	159.11	36.53	80.00	21.48
10	Ambaar Fee	8.62	12.86	17.71	25.72	30.00	0.00
9	Free hold Fee	16.66	2.86	3.69	32.37	60.00	1.12
10	Maintenance. Fee of Harilok	3.08	1.96	5.59	2.22	10.00	47.14
11	Haritama Fee	17.25	25.73	35.42	51.44	60.00	1.56
12	Sale of Broucher	99.98	0.00	3.60	0.00	5.00	2.24
A	Total Revenue Income	1231.44	705.50	1270.49	1149.65	1515.00	0.00
							135.05

Finance officer Secretary Vice Chairman Chairman

		Actual 2006-07	Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Proposed 2010-11	Up to 31.08.10
B	Capital Income						
1	Rishilok Scheme	2.30	4.16	0.64	1.44	2.00	0.18
2	Shivlok scheme	4.12	9.23	5.59	2.77	4.00	1.50
3	Harilok scheme	81.71	27.11	6.24	11.27	16.00	9.38
4	Shyamlok scheme	84.68	5.16	5.19	3.57	8.00	2.32
5	Ashray Yojana	4.19	4.42	5.29	8.39	6.00	1.74
6	Gayatrilok Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	BHEL grih nirman sahkari Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
8	T.P. Nagar, Haridwar	106.82	54.38	139.86	162.27	1500.00	27.00
9	Indrlok Scheme 1	12200.98	939.61	742.84	142.72	600.00	220.56
10	Indrlok Scheme 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
11	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12	Loan (HUDCO & other finencial inst.)	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
13	Recovery from staff for HBA & car loan	1.12	1.13	0.79	0.53	0.50	0.00
14	Deposit work (AKM. MLA Nidhi Etc.)	0.00	0.00	0.00	548.95	15.00	19.25
15	Return from S.L.A.O. (Harilok-2)	0.00	360.00	0.00	0.00	170.00	0.00
B	Total Capital Income	12485.92	1405.20	906.44	881.91	6321.50	281.93
	Total Income (A+B)	13717.36	2110.70	2176.93	2031.56	7836.50	416.98
	Total Income including Openig balace	13998.55	15462.87	4396.72	4803.44	11199.72	3780.20

		Actual	Actual	Actual	Actual	Proposed	Up to
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	31.08.10
A	**Revenue Expenditure**						
1-	**Establishment**						
(i)	Staff salary & allowances	62.11	65.19	94.10	103.19	160.00	83.49
(ii)	T.A. bill	0.57	0.47	0.51	0.86	1.50	0.20
(iii)	Encashment / pension Anshdan	1.12	0.55	0.00	2.59	3.00	0.37
(iv)	Honorariom	0.23	0.01	0.00	0.00	0.50	0.00
(vi)	Medical Rembersment	0.01	0.00	0.07	0.25	5.00	2.10
	Total (A)	**64.04**	**66.22**	**94.68**	**106.89**	**170.00**	**86.16**
2-	**Office / Misc. Exp.**						
(i)	Postage Exp.	0.16	0.29	0.19	0.20	0.50	0.05
(ii)	Stationery	1.42	2.34	2.63	2.34	3.00	0.62
(iii)	Office maint.	3.26	1.05	12.50	22.53	20.00	4.00
(iv)	Chairman office maint.	2.84	0.97	1.08	2.20	3.00	1.02
(v)	Telephone Expenditure.	1.33	1.06	1.43	1.76	3.00	0.98
(vi)	Library	0.02	0.03	0.00	0.07	0.25	0.04
(vii)	Leagal Exp.	2.59	3.75	5.21	15.68	18.00	2.82
(viii)	Atithi Satkar	0.64	0.36	0.69	0.76	1.50	0.15
(ix)	Printing	0.65	0.12	1.41	0.68	2.00	0.03
(x)	Advertisement (Gen.)	0.98	6.60	11.08	12.92	15.00	5.71
(xi)	Advertisement (Tender)	0.00	7.50	3.00	0.00	0.00	0.00
(xii)	Audit Fee	1.87	0.00	10.00	9.20	15.00	0.00
(xiii)	Misc. Exp.	0.89	1.47	2.06	4.00	5.00	0.86
(xiv)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	Maint. Of Machines	0.22	0.00	0.00	0.14	2.00	0.35
(xvi)	Maint of Electricity	2.22	1.81	2.12	1.97	3.00	1.39

Finance officer Secretary Vice Chairman Chairman

		Actual	Actual	Actual	Actual	Proposed	Up to
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	31.08.10
(xvii)	Discr.	0.35	0.30	0.39	0.75	2.00	2.00
(xviii)	Temp. Advance.	-0.90	0.54	1.61	-0.06	1.00	19.79
(xix)	Computer. Maintenance.	0.45	0.33	0.62	2.64	4.00	0.83
(xx)	Transfer of ambar Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
(xxi)	Uttarnch Govt. Avas	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xxii)	Maint. In Harilok	0.49	2.57	6.91	18.93	19.00	2.95
(xxiii)	F.B.T. & Other Tex	0.91	18.54	83.31	26.42	50.00	0.00
	Total (B)	**20.87**	**49.63**	**146.24**	**123.13**	**197.25**	**43.59**
3-	**Vehicle**						
(i)	Maint.	1.80	2.62	3.93	5.89	6.00	2.12
(ii)	Petrol / Diesel	8.47	5.93	9.46	12.78	15.00	5.92
	Total (C)	**10.27**	**8.55**	**13.39**	**18.67**	**21.00**	**8.04**
4-	**Advance to Emp.**						
(i)	Vehicle	0.26	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	Total (D)	**0.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**	**0.00**
5-	Master Plan	3.66	3.59	0.58	0.21	10.00	2.17
	Total (E)	**3.66**	**3.59**	**0.58**	**0.21**	**10.00**	**2.17**
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)	**99.10**	**127.99**	**254.89**	**248.90**	**405.25**	**139.96**
	Capital Exp.						
1	Purchase of Vehicle / Machine	6.32	0.00	9.69	0.00	7.00	0.00
2	Purchase of Computer.	1.02	6.36	6.40	1.92	3.00	0.15
3	Ferniture / fixture	0.54	8.00	3.45	4.11	6.00	0.82
	Total (A)	**7.88**	**14.36**	**19.54**	**6.03**	**16.00**	**0.97**
5	Purchase of Land						
(i)	For New Scheme	360.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
	Total(B)	**360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2000.00**	**0.00**

Finance officer Secretary Vice Chairman Chairman

		Actual 2006-07	Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Proposed 2010-11	Up to 31.08.10
6	**Development/ const Works in Schemes**						
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.19	0.00	0.00	2.00	0.90
(ii)	Shyamlok Scheme	2.25	0.00	1.16	0.10	2.00	0.00
(iii)	Harilok Scheme	0.88	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
(v)	Intt. on Loan	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	63.43	342.39	672.20	300.57	1000.00	175.15
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2010	39.58	0.00	0.00	198.15	230.00	223.19
(ix)	Haritama / Plantation	10.24	9.12	8.13	9.25	50.00	3.34
(x)	T.P. Nagar Scheme	6.05	353.68	262.11	391.46	200.00	53.54
(xi)	BHEL. Rehab. Scheme	7.40	0.00	0.54	20.09	15.00	5.89
(xii)	BHEL.Grih. Nirman Samiti Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
(xiii)	Indralok Scheme	49.57	12395.35	406.27	265.67	250.00	68.23
(xiv)	Indralok Scheme 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	48.39
(xv)	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Total (C)	179.40	13100.73	1350.41	1185.29	5439.00	578.63
	Total Capital Exp.	547.28	13115.09	1369.95	1191.32	7455.00	579.60
	Total Exp.	646.38	13243.08	1624.84	1440.22	7860.25	719.56
	Closing Balance	13352.17	2219.79	2771.88	3363.22	3339.47	3060.64

Finance officer Secretary Vice Chairman Chairman

मद सं0–49 (12) आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इस प्रकार के प्रकरणों को शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0–49 (13) अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

13(1) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से रू0 15000.00 प्रतिमाह पारिश्रमिक दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

13(2) श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुर्न सेवा योजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार गणना कर ली जाय, यदि गणना पारिश्रमिक रू0 6000.00 तक की सीमा तक आता है तो सम्बन्धित को अनुमन्य किया जाय।

13(3) वरिष्ठ नियोजक के सुझाव के क्रम में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में, उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त /अध्यक्ष महोदय को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु समय प्रदान करने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया। अध्यक्ष /आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त किया गया।

मद संख्या–49(02)

श्री मती पूनम सिंह पुत्री श्री अमन सिंह, निदेशक मै0 गर्ग फूड प्रा0 लि0 रावली महदूद , सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या– मान/हरि/एस0डब्लु–40/2010–11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ग्राम रावली महदूद, जिला हरिद्वार के खसरा नं0– 438 / 2, 438 / 4 व 446 जिसका कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर अर्थात 8200.00 वर्ग मीटर है, पर होटल निर्माण की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। विवरण निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग–(अ) 2001 के अनुसार आवासीय निम्न घनत्व (आर–2) के अन्तर्गत है।
2. प्रश्नगत स्थल बहादराबाद–सिडकुल मार्ग पर लो0नि0वि0 की 45.00 मीटर चौडे. मार्ग पर स्थित है।
3. भवन उपविधि के अनुसार होटल की प्रस्तावना हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल का भूखण्ड क्षेत्रफल 8200.00 वर्ग मीटर है।
4. प्रश्नगत स्थल सिडकुल के समीप स्थित होने तथा आस–पास कोई होटल न होने के कारण पर्यटन एवं उद्यमियों के आवागमन की दृष्टि से होटल का निर्माण उचित प्रतीत होता है।
5. प्रस्तुत मानचित्र का प्रथम दृष्टया तकनीकी परीक्षण किया गया जो प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृति के योग्य है।
6. उक्त भूखण्ड में महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल का निर्माण विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण सभा द्वारा अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(03)

श्री गिरधारी लाल चावला पुत्र श्री अमृत लाल चावला, ग्राम सलेमपुर महदूद भाग–2, जिला हरिद्वार, सिडकुल मार्ग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत होटल का मानचित्र संख्या– मान/हरि/एस0डब्लु–41/2010–11 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ग्राम सलेमपुर महदूद भाग–2, जिला हरिद्वार के खसरा नं0– 1593 मि0 जिसका कुल रकबा 0.30214 हैक्टयर अर्थात 3021.24 वर्ग मीटर है, पर होटल निर्माण की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। विवरण निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग–(अ) 2001 के अनुसार आवासीय निम्न घनत्व (आर–2) के अन्तर्गत है।
2. प्रश्नगत स्थल बहादराबाद–सिडकुल मार्ग पर लो0नि0वि0 की 45.00 मीटर चौडे. मार्ग पर स्थित है।
3. भवन उपविधि के अनुसार होटल की प्रस्तावना हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल का भूखण्ड क्षेत्रफल 3021.24 वर्ग मीटर है।
4. प्रश्नगत स्थल सिडकुल के समीप स्थित होने तथा आस–पास कोई होटल न होने के कारण पर्यटन एवं उद्यमियों के आवागमन की दृष्टि से होटल का निर्माण उचित प्रतीत होता है।
5. प्रस्तुत मानचित्र का प्रथम दृष्टया तकनीकी परीक्षण किया गया जो प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृति के योग्य है।
6. उक्त भूखण्ड में महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल का निर्माण विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण सभा द्वारा अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(04)

ग्राम भोपतवाला कलॉ, हरिद्वार खसरा नं0– 50 / 06, एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर मै0 अजय कुमार एण्ड संस द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे।

मैसर्स अजय कुमार एण्ड संस द्वारा श्री अजय कुमार पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल कुमार , निवासी न्यू हरिद्वार कालोनी, हरिद्वार द्वारा आयुक्त महोदय को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2009 के द्वारा ग्राम भोपतवाला कलॉ, हरिद्वार खसरा नं0– 50 / 06, एवं 48 मि0 क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मी0 भूमि पर होटल निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। विवरण निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग–(अ) 2001 के अनुसार आवासीय निम्न घनत्व (आर–2) के अन्तर्गत है।
2. प्रश्नगत स्थल हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग पर दूधाधारी तिराहे से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग के 60.00 मीटर चौडे. मार्ग पर स्थित है।
3. भवन उपविधि के अनुसार होटल की प्रस्तावना हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल का भूखण्ड क्षेत्रफल 1808.15 वर्ग मीटर है।
4. प्रश्नगत स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा इसके आस–पास पूर्व से होटल आदि निर्मित है। पर्यटन एवं हरिद्वार आपने वाले तीर्थ यात्रियों के दृष्टिगत होटल का निर्माण उचित प्रतीत होता है।
5. प्रस्तुत मानचित्र का प्रथम दृष्टया तकनीकी परीक्षण किया गया जो प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृति के योग्य है।
6. उक्त भूखण्ड में महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल का निर्माण विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण सभा द्वारा अनुमन्य किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(05)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)–7 उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–444/**XXV**11(7) ए0सी0पी0(1)/2010, दिनॉक 09 फरवरी 2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू की गयी है। प्राधिकरण में लागू किए जाने हेतु शासनादेश के प्रस्तर–12 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय पश्चात आवास विभाग निर्णय लेकर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।

अतः बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव इस आशय से प्रस्तुत है कि उक्त शासनादेश को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में अंगीकृत किए जाने एंव आवास विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(06)
प्राधिकरणो में कार्यरत नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किए जाने के सम्बन्ध मे।

आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–465/अ/10–11(आ0)/10 दिनॉक 25 मार्च 2010 के द्वारा मूल वेतन, महंगाई वेतन, और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान दिए जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। उक्त योजना से पूर्व वेतन/महंगाई वेतन के योग पर 6.25 प्रतिशत अंशदान की सुविधा अनुमन्य है। शासनादेश के पैरा–4 में उक्त प्रकरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने एंव बोर्ड की सहमति/संस्तुति से शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः प्रस्ताव है कि नियमित कार्मिकों के मूल वेतन/डी0पी0 के योग पर 6.25 प्रतिशत अंशदान के स्थान पर दिनॉक 1–10–2005 से वेतन/महंगाई वेतन(ग्रेड–पे) एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–21 दिनॉक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा जारी अधिसूचना को अंगीकृत करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण में लागू किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(07)
श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/समायोजन के सम्बन्ध मे।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में श्री नारायण किशोर नौटियाल की नियुक्ति डा0इ0आपरेटर पद पर वर्ष 1996 में हुई है। श्री नौटियाल द्वारा डा0इ0आपरेटर के पद से प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति/स्थानापन्न हेतु आवेदन किया है। आशुलिपिक एंव डा0इ0आपरेटर का वेतनमान एक समान ही है और दोनो पद अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत है। शासनादेश संख्या 1082 –1/11704–1987, दिनांक 20 जून 1987 में परिभाषित शासन की अधिसूचना संख्या 864/डी0ए0/11–04–01 –डी0ए0/82, दिनांक 27 मई 1987 द्वारा प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को अकेन्द्रीयित करते हुये नियुक्ति का अधिकार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में निहित किया गया है।

प्राधिकरण की 40 वी बोर्ड बैठक दि0 28–04–2006 के अनुमोदन उपरान्त प्रमुख सचिव, आवास विभाग के पत्र सं0– 1456 /V–आ0–06–123 (आ0) /2006 दिनांक 10 अगस्त 2006 पर अध्यक्ष /आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के पत्र सं0–1053 /वै0सहा0–06 दिनांक 21 अगस्त 2006 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं07799/कार्मिक–2 /2003 दिनांक 26 जून, 2003 द्वानान सरकारी कार्य में गति एवं दक्षता लाने तथा जनतन्त्र की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता को सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है तथा साथ ही समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी हितों की रक्षा और उनके सेवा सम्बन्धी मामलों को तत्परता से निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की अपेक्षानुसार एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–405 /पी0एस0 दिनांक 3–10–2007 के निर्देशों के क्रम में श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर को समान वेतनमान रू0 5200–20200 में अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत कार्यालय आदेश सं0–902 /प्रशा0–1(ग)–35 /96 दिनांक 27 जुलाई 2010 द्वारा रिक्त आशुलिपिक पद पर पदस्थानापन्न /समायोजित किया जा चुका है। आशुलिपिक पद पर समायोजन से श्री नौटियाल की सेवा शर्ते, वेतनमान एवं मूल वेतन पूर्ववत रहेंगे तथा प्राधिकरण पर कोई अतिरिक्त व्यय भाग भी नहीं पडेंगे। श्री नौटियाल एक वर्ष की परवीक्षा /प्रशिक्षण अवधि में रहेंगे।

उत्तर प्रदेश, आवास अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 3880/8–आ0–8–2000/98 लखनऊ दिनांक 09.10. 2000 के द्वारा आशुलिपिक का पद अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत किया गया है।

उक्त शासनादेशों के परिपेक्ष में कार्यालय आदेश संख्या–902 दिनॉक 27–7–2010 के द्वारा श्री नौटियाल को रिक्त आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/समायोजित किया गया है तथा बोर्ड बैठक में इसकी पुष्टि किए जाने हेतु आदेश दिए गये है।

अतः प्रकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(08)
प्राधिकरण वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार

प्राधिकरण एम्बेसेडर कार वाहन संख्या यू0ए0–08–9900 जिसका मॉडल–2002 है जो कि शासनादेश के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य है। शासनादेश संख्या– टी0एस0/19–166–86, दिनांक 17.12.1997 के अन्तर्गत 10 वर्ष की अवधि या 1.75लाख कि0मी0 की दूरी तय किये जाने उपरान्त वाहन निष्प्रयोज्य किया जा सकता है। अतः उक्त वाहन 8 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण करते हुये वाहन लॉग बुक के अनुसार वाहन द्वारा लगभग 2.5 लाख कि0मी0 की दूरी तय की जा चुकी है। अतः उक्त वाहन निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य है। प्राधिकरण की 43 वीं बोर्ड बैठक 21.07.2007 के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण वाहनों का निष्प्रोज्य आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया जायेगा। उनके स्थान पर नये वाहन क्रय करने के लिये भी अनुमति आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को स्थाई रूप से अधिकृत किया गया है। अतः प्राधिकरण के उक्त वाहन (एम्बेसेडर कार) को निष्प्रयोज्य किये जाने एवं उसके स्थान पर एक डीजल वाहन बोलेरो जीप, क्रय किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(09)
श्री मोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।

46वीं बोर्ड बैठक द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जाये। उक्त के क्रम में प्रस्ताव/आख्या निम्नवत् हैः–

निर्णय के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

1– प्रचलित महायोजना–2001 मे उक्त स्थल का भू–उपयेाग कृषि है।
2– प्रस्तावित महायोजना–2025 का प्रारूप शासन स्तर पर विचाराधीन है।
3– प्रश्नगत स्थल ग्राम सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0– 1446, 1450 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2.077 हैक्टेयर है।
4– स्थल के पास एरो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसका प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन द्वारा उक्त स्थल का भू–उपयोग परिर्वतन किया गया है।
5– स्थल के आस–पास सिडकुल क्षेत्र जिसमें अनेक औद्योगिक इकाईयॅा विकसित हो चुकी है। सिडकुल के आस–पास आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान है।
6– शासनादेश के अनुसार कृषि से आवासीय में भू–उपयेाग परिर्वतन अनुमन्य है।
7– भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(10)

श्री मोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।

46वीं बोर्ड बैठक द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जाये।

निर्णय के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

1– प्रचलित महायोजना–2001 मे उक्त स्थल का भू–उपयेाग कृषि है।

2– प्रस्तावित महायोजना–2025 प्रारूप शासन स्तर पर विचाराधीन है।

3– प्रश्नगत स्थल ग्राम सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0– 1535, 1537, 1551, 1552 जो सिडकुल के 45.00 मीटर मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2.678 हैक्टयर है।

4– स्थल के पास एरो इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसका प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन द्वारा उक्त स्थल का भू–उपयोग परिर्वतन किया गया है।

5– स्थल के आस–पास सिडकुल क्षेत्र जिसमें अनेक औद्यौगिक इकाईयॉ विकसित हो चुकी है। सिडकुल के आस–पास व्यवसायिक गतिविधियॉ विद्यमान है।

6– स्थल लो0नि0वि0 की 45.00 मीटर मार्ग पर स्थित है।

7– शासनादेश के अनुसार कृषि से व्यवसायिक में भू–उपयेाग परिर्वतन अनुमन्य है।

8– भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(11)

श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।

46वीं बोर्ड बैठक द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जाये।

निर्णय के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

1–प्रचलित महायोजना–2001 मे उक्त स्थल का भू–उपयोग कृषि है।

2–प्रस्तावित महायोजना–2025 प्रारूप शासन स्तर पर विचाराधीन है।

3–प्रश्नगत स्थल ग्राम एतमलपुर बौंगला के खसरा नं0– 851, 833 जो राष्ट्रीय राजमार्ग के 60.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1.789 हैक्टेयर है।

4–स्थल के आस–पास अधिकांश क्षेत्र पर कृषि भूमि है।

5–शासनादेश के अनुसार कृषि से व्यवसायिक में भू–उपयोग परिवर्तन अनुमन्य है।

6– भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(12)

आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति विषयक।

हरिद्वार एवं ऋषिकेश महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नही है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में पर्यटन के दृष्टिगत आवश्यकता के अनुरूप गेस्ट हाउस की काफी मांग है। प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि प्राधिकरण से आवासीय भवन के रूप स्वीकृत कराये गये निर्माणो को गेस्ट हाउसों के रूप में परिर्वतित कर प्रयोग में लाया जा रहा है। महायोजना एवं भवन उपविधि के परिपेक्ष्य में परिवर्तित किये गये इस प्रकार के निर्माणों को नियमित किया जाना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषा में आवासीय भवन के अन्तर्गत गेस्ट हाउस को आवासीय भवन के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रचलित भवन उपविधि (संशोधित भवन उपविधि–2007) के अन्तर्गत आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल, भू–आच्छादन एवं तलानुपात तथा पार्किंग का उल्लेख है।

अतः प्रस्ताव है कि अधिनियम एवं भवन उपविधि के परिपेक्ष्य में आवासीय भू–उपयोग में गेस्ट हाउस की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–49(13)
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

(1) श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में विधिक कार्य के निस्तारण हेतु प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2007 में प्राधिकरण अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, का पारिश्रमिक रू0. 6,000–00 से बढ़ाकर रू0. 10,000–00 किया गया था।

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा पारिश्रमिक दरें रू0. 10,000–00 से बढ़ाकर रू0. 20,000–00 किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पारिश्रमिक दरें रू0. 10,000–00 अनुमोदन के लगभग 03 वर्ष व्यतीत हो चुके है। अतः प्रस्ताव है कि कालान्तर में हुई महंगाई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इनका पारिश्रमिक रू0 15,000–00 किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(2) श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रामचन्द्र सिंह नेगी, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार, को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 को अनुबन्ध पर रखा गया है। प्राधिकरण की 43 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2007 में रू0. 3,500–00 के स्थान पर रुपया–5,000–00 मानदेय स्वीकृत किया गया था।

श्री रामचन्द सिंह नेगी, प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा पारिश्रमिक दरें रू0. 5,000–00 से बढ़ाकर रू0. 6,000–00 किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पारिश्रमिक दरें रू0. 5,000–00 अनुमोदन के लगभग 03 वर्ष व्यतीत हो चुके है। अतः प्रस्ताव है कि कालान्तर में हुई महंगाई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इनका पारिश्रमिक रू0 6,000–00 किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Develpoment Authority

Provisional Balance Sheet as on 31st March, 2010

Previous Year 31/03/2009	Liabilities	Amount	Previous Year 31/03/2009	Assets	Amount
112,801,342.59	Reserve Surplus (As Per Annexure "A")	172,853,327.33	12,218,316.01	Fixed Assets (As Per Annexure "G")	14,623,351.14
3,484,133.67	Grant in Aid (As Per Annexure "B")	31,562,469.53	8,224,385.00	Investment (As Per Ann."H")	159,904,717.00
152,354,799.20	Infrastucture Dev. Fund a/c (As Per Annexure "C")	161,886,128.51	277,147,325.24	Work In Progress (As Per Ann."I")	411,342,228.16
-	HDA Board Fund As Per Annexure "D"	36,128,791.00		Loan and Advances	
			519,097.98	Advance Against Work	519,097.98
			388,103.00	Advance to Staff	276,768.00
			115,650.00	Advance to Others	11,171,356.00
263,636,082.00	Amount Received Against Residential Scheme (As Per Ann."E")	385,019,891.00			
			234,843,308.04	Cash & Bank Balance (As Per Ann."J")	190,792,916.90
1,179,827.81	Current Liabilities & Advances (As Per Annexure "F")	1,179,827.81			
533,456,185.27		**788,630,435.18**	**533,456,185.27**		**788,630,435.18**

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Provisional Income and Expenditure account for the year ended 31st March, 2010

Amount 31/03/2009	Particulars	Amount	Amount 31/03/2009	Particulars	Amount
9,412,782.00	To Salary	10,319,522.00	886,572.00	By Map Fees	1,321,954.00
-	To Machinery Repair and Maint.	14,000.00	3,010,859.00	By Develpoment Fees	5,716,074.00
50,602.00	To Travelling Expenses	85,551.00	8,106,879.00	By Compounding Fees	9,786,478.00
62,574.00	To Computer Repair and Maint.	263,945.00	36,960.00	By Free Holds Lease Rent	354,078.00
393,258.00	To Vehicle Maint.	589,335.00	325,097.00	By Misc.Receipts	1,246,369.00
946,090.00	To Vehicle Petrol Expenses	1,277,722.00	2,571,586.00	By Supervision Fees	3,474,857.00
19,016.00	To Postage Expenses	20,200.00	-	By Stamp Duty	-
199,113.74	To General/Misc.Expenses	370,131.00	10,881,282.00	By Bank and Other Interest	11,272,968.00
514,611.00	To Legal Expenses	1,568,095.00	1,771,093.00	By Stacking Fees	2,572,231.00
1,101,512.00	To Advertisement Expenses	1,293,479.00	664,836.00	By Shivlok	277,052.00
-	To Pension Contribution	259,282.00	63,562.00	By Rishilok	143,764.00
62,924.00	To Guest Welfare	75,663.00	558,889.00	By Harilok Maintenance	222,356.00
263,471.50	To Stationary Expenses	233,700.00	1,591,130.00	By Land Use Conversion	3,652,809.00
140,825.00	To Printing Expenses	67,712.00	359,792.00	By Books Sale	-
142,505.00	To Telephone Expenses	176,120.00	3,542,188.00	By Haritma	5,144,464.00
1,249,469.06	To Office Repair and Maint.	2,293,289.39	2,294.00	By Information Fees	3,168.00
38,536.00	To Vivekadheen Expenses	75,000.00	9,176,756.00	By Subdivision Fees	13,934,037.00
211,949.00	To Electricity Expenses	197,323.00			
1,000,205.00	To Sampriksha Shulk	920,090.00			
108,477.00	To Chairman/Comm.Office	220,426.00			
921,140.59	To Depreciation	914,208.00			
812,618.00	To Haritima	925,004.00			
53,528.00	To BHEL Punarwas Exps.	2,009,107.20			
115,983.50	To Shyamlok Maint.	10,442.00			
690,731.00	To Harilok Manit.	1,892,780.00			
18,511,921.39	Balance c/f	26,072,126.59	43,549,775.00		
				Balance c/f	59,122,659.00

Contd....next page

As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

143

सलग्नक-1-(5)

Hardwar Develpoment Authority

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Annexure "A" of Reserve & Surplus:

Capital Reserve		695,000.00	
Depreciation Reserve (9396288.09+914208)		10,310,496.09	**11,005,496.09**
General Reserve:			
Opening Balance		128,850,278.83	
Add:- Excess of Income Over Expenditure		32,997,552.41	**161,847,831.24**
			172,853,327.33

Annexure "B" of Grant in Aid 31/03/2010

Grant for Beautification		102,096.67	
Ardh Kumbh Mela 2004		3,382,037.00	
Kumbh Mela 2010	46,423,739.00		
Less Expenses	18,345,403.14	28,078,335.86	**31,562,469.53**

Annexure "C" of Infrastructure Dev. Fund

Op. Balance	135,241,963.68	
Add:- During the Year	56,701,158.00	
	191,943,121.68	
Less During the Year	30,056,993.17	**161,886,128.51**

Annexure "D" of HDA Board Fund

Op. Balance	-	
Add:- During the Year	36,128,791.00	**36,128,791.00**

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Develpoment Authority

सलग्नक-1

Provisional Income and Expenditure account for the year ended 31st March, 2010

Amount 31/03/2009	Particulars	Amount	Amount	Particulars	Amount
18,511,921.39	Balance b/f	26,072,126.59	43,549,775.00		59,122,659.00
7,176.00	To Medicine Expenses	24,806.00			
-	To News Paper & Periodicals	6,784.00			
57,835.00	To Master Plan Exp.	21,390.00			
299,618.00	To Advertisement Tender	-			
60,989.87	To Loss on Sale of Fixed Assets	-			
24,612,234.74	To Excess of Income Over Expenditure	32,997,552.41			
43,549,775.00		59,122,659.00	43,549,775.00		59,122,659.00
-		-			

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

सलग्नक-(G)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Develpoment Authority

Annexure of Loan and Advances as on 31/03/2010

Loan & Advances to Staff 31/03/2010

(A)	Housing Loan		
	Shri Mam Chand	21,340.00	
	Shri Durga Bhadur Thapa	16,870.00	
	Shri keshav Chander Upadhay	12,720.00	
	Sh. Bhuwan Chand Pant	23,500.00	74,430.00
(B)	Other Advances		
	Shri Mamchand	49,950.00	
	Shri Naveen Saxena	50,000.00	
	Shri Chintamani Bhattgain	5,000.00	
	Shri Balram	47,388.00	
	Shri Kameshwari Rathi	50,000.00	202,338.00
	Total (A+B)		276,768.00

Loan & Advances Against Work 31/03/2010

Advances other against works	10,327.98	
M/s Primier Irrig.Equip.Ltd.-Delhi	50,000.00	
S.S.P. Kumbh Mela	300,000.00	
Uttranchal Shashan Avas Vibhag	158,770.00	519,097.98

Annexure of Loan & Advances to Other 31/03/2010

Security Telephone		115,650.00	
TDS by Bank A.Y 2008-09		62,506.00	
TDS by Bank A.Y 2009-10		21,325.00	
TDS by Bank A.Y 2010-11		82,636.00	
I-Tax Demand A.Y 2005-06		5,614,000.00	
I-Tax Demand A.Y 2006-07	2,560,000.00		
Add :- During the Year	2,559,163.00	5,119,163.00	
FBT A.Y 2007-08		29,950.00	
FBT A.Y 2008-09		112,706.00	
TDS Penalty Demand		13,420.00	11,171,356.00

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Develpoment Authority

सलग्नक-1-(5

Annexure "F" of Current Liabilities & Advances 31/03/2010

T.H.D.C. Ltd. Against Housing Construction	232,772.56	
Earnest Money	35,000.00	
Vidhyak Nidhi	912,055.25	1,179,827.81

Annexure "E" Amount received Against Residential Scheme 31/03/2010

	Opening Balance	Addition	Closing Balance	
Shyamlok	28,884,041.00	356,991.00	29,241,032.00	
Gayatrilok	38,346,293.00	-	38,346,293.00	
Ashrya Yojna	3,437,030.00	838,685.00	4,275,715.00	
Bahu Rao Devras	1,049,149.00	-	1,049,149.00	
Sports Complex	399,950.00	-	399,950.00	
Transport Nagar	34,346,826.00	16,227,442.00	50,574,268.00	
Hari Lok	11,506,438.00	1,127,203.00	12,633,641.00	
Inderlok Yojna	234,873,928.00	13,625,915.00	248,499,843.00	385,019,891.00

Annexure "I" of Work In Progress(Residential Scheme) 31/03/2010

		Opening Balance	Addition	Closing Balance	
Land:	Transport Nagar Haridwar	172,620,389.00	-	172,620,389.00	
	Gayatri Lok	17,573,552.00	-	17,573,552.00	190,193,941.00

Construction

	Opening Balance	Addition	Closing Balance	
Gayatrilok	1,698,735.10	-	1,698,735.10	
Ashrya Yojna	4,058,938.62	-	4,058,938.62	
Bahu Rao Devras	2,268,522.61	-	2,268,522.61	
Ardh Kumbh Mela-92	986,554.07	-	986,554.07	
Bhavi Yojna	487,500.00	-	487,500.00	
Sports Complex	441,258.00	-	441,258.00	
BHEL Greh Nirman Yojna	111,544.00	-	111,544.00	
Inderlok Yojna	81,271,245.97	26,567,108.08	107,838,354.05	
Inderlok Yojna II	1,643,916.00	-	1,643,916.00	
Transport Nagar	62,467,138.04	39,145,826.67	101,612,964.71	221,148,287.16
				411,342,228.16

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

सलग्नक-1

Annexure "J" of Cash and Bank Balances 31/03/2010

Cash in Hand

Cash at Bank

Central Bank of India-8000	41,127,840.09
Oriental Bank of Commerce-386	24,799,966.96
Oriental Bank of Commerce-08	3,646,337.41
State Bank of India-11137	857,640.82
Punjab National Bank-5738	7,595,255.60
P.L.A.Treasury	56.72
Bank of Maharastra # 1001	6,764,298.91
Allahabad Bank	9,315,295.28
Union Bank	4,598,102.14
Vijya Bank # 451	44,601,124.61
Axis Bank # 25513	1,284,868.00
P.N.B Infra.-137608	18,246,311.50
Kumbh Mela PLA	27,955,818.86
	190,792,916.90

Annexure "H" of Investment

FDR OBC	159,904,717.00

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Develpoment Authority

सलग्नक-1

Schedule "G" of Fixed Assets as on 31st March, 2010

Particulars	Dep. Rate	Original Cost	Addition before Sep.	Addition after sep	Sold	Total	Dep.Upto 31/03/2009	Dep. Bef.Sep.	Dep. after sep	Total Dep. During the yr.	Dep.Upto 31/03/2010	W.D.V.as 31/03/2009	W.D.V. as 31/03/2010
Building	5%	788489.71	-	-	-	788489.71	515586.60	13645.00	-	13645.00	529231.60	272903.11	259258.11
Car	15%	1466695.50	-	-	-	1466695.50	1224482.32	36332.00	-	36332.00	1260814.32	242213.19	205881.19
Gypsy	15%	103850.99	-	-	-	103850.99	103850.99	0.00	-	0.00	103850.99	0.00	0.00
Type Writer	15%	108935.74	-	-	-	108935.74	106624.80	347.00	-	347.00	106971.80	2310.94	1963.94
Furniture & Fixture	10%	3575734.08	202,751.00	80,188.00	-	3858673.08	1592911.44	218557.00	4,009.00	222566.00	1815477.44	1982822.64	2043195.64
Electricity Instrument	15%	212521.78	-	-	-	212521.78	169222.93	6495.00	-	6495.00	175717.93	43298.86	36803.86
Engg. Instrument	15%	255304.19	-	-	-	255304.19	231758.01	3532.00	-	3532.00	235290.01	23546.22	20014.22
Books	15%	8823.75	-	-	-	8823.75	8221.13	90.00	-	90.00	8311.13	602.62	512.62
Cassette Player	15%	2303.00	-	-	-	2303.00	2290.79	2.00	-	2.00	2292.79	12.21	10.21
Cycle	15%	3255.00	-	-	-	3255.00	3074.30	27.00	-	27.00	3101.30	180.70	153.70
Generator	15%	149300.00	-	-	-	149300.00	142177.44	1068.00	-	1068.00	143245.44	7122.57	6054.57
Fax Machine	15%	80430.00	-	-	-	80430.00	68608.37	1773.00	-	1773.00	70381.37	11821.63	10048.63
Computer	60%	3409668.75	-	192,498.00	-	3602166.75	2863305.38	327818.00	57,749.00	385567.00	3248872.38	546363.37	353294.37
Air Conditioner	15%	161832.40	122,000.00	-	-	283832.40	145377.03	20768.00	-	20768.00	166145.03	16455.38	117687.38
Gypsy UP10B-9333	15%	231674.96	-	-	-	231674.96	231674.96	0.00	-	0.00	231674.96	0.00	0.00
Aquaguard	15%	5940.00	-	-	-	5940.00	4539.33	210.00	-	210.00	4749.33	1400.67	1190.67
Rehra	15%	3108.66	-	-	-	3108.66	3108.66	0.00	-	0.00	3108.66	0.00	0.00
JCB	15%	1543516.00	-	-	-	1543516.00	1374543.19	25346.00	-	25346.00	1399889.19	168972.81	143626.81
Telephone Equip.	15%	26730.00	-	-	-	26730.00	17931.85	1320.00	-	1320.00	19251.85	8798.15	7478.15
Photocopy Machine	15%	86786.63	-	-	-	86786.63	86786.63	0.00	-	0.00	86786.63	0.00	0.00
Mahindra & Mahindra	15%	390755.00	-	-	-	390755.00	186778.44	30596.00	-	30596.00	217374.44	203976.56	173380.56
Land	0%	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Vehicle Purchase	15%	1404658.00	-	-	-	1404658.00	313433.58	163684.00	-	163684.00	477117.58	1091224.42	927540.42
Fridge	15%	0.00	5,600.00	-	-	5600.00	0.00	840.00	-	840.00	840.00	0.00	4760.00
		14020314.14	330351.00	272686.00	0.00	14623351.14	9396288.17	852450.00	61758.00	914208.00	10310496.17	4624026.05	4312865.05

Dated:- 14/09/2010
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
(Girish Kumar Mohan)

सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि एस0टी0सी0पी0 उक्त वर्णित निर्णयों को समायोजित करते हुये हरिद्वार महायोजना को अन्तिम रूप देकर शीघ्रातिशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4- उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा- 8 व 11 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना प्रारूप- 2025 पर प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर सुनवाई समिति की संस्तुतियों पर प्राधिकरण की बैठक में विस्तृत चर्चा व तत्क्रम में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार हरिद्वार महायोजना- 2025 को दिये गये अन्तिम रूप शासन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की ओर से एस0टी0सी0पी0 को प्राधिकृत किये जाने सम्बन्धी निर्णय के कम में उक्त अधिनियम की धारा- 10(2) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत शासन स्तर से अनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु महायोजना की तीन प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित हैं।

5- महायोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन के स्वीकृति पत्र में यदि उचित समझें तो दो वर्ष की प्रतिबन्धित अवधि उपरान्त ही उक्त अधिनियम की धारा- 13 के प्रावधानानुसार महायोजना में संशोधन, यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर विचारणीय होगा, सम्बन्धी निर्देश भी पारित किया जाना विचारणीय होगा।

6- कृपया उक्त पर शासन स्तर से स्वीकृति पत्र के साथ हस्ताक्षरयुक्त/ मोहर सहित अंकन क्रमशः महायोजना मानचित्र एवं प्रतिवेदन पर किये जाने उपरान्त स्वीकृत महायोजना 2006-2025 की एक-एक प्रति हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा तत्कालिक क्रियान्वयन हेतु उपाध्यक्ष को, एक प्रति इस कार्यालय के अभिलेखार्थ प्रेषित करने के अतिरिक्त एक प्रति शासन के अभिलेखार्थ संरक्षित करने हेतु रखे जाने का कष्ट करें।

7- अतः शासन के विचारार्थ उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश- 2006 की धारा- 12 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकरण स्तर से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से महायोजना का क्रियान्वयन प्रभावी किये जाने हेतु निर्देश भी स्वीकृति पत्र में उल्लेखित करना आवश्यक होगा, सम्बन्धी पत्र प्रारूप भी संलग्न है

भवदीय,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
2- उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
25.11.09

HRD M.P.-Etc.

सलग्नक-2

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड
53, टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

पत्रांकः 2625/ नग्रानि/ हरिद्वार महायोजना- 2025/ 2009 दिनांकः 25 नवम्बर, 2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः हरिद्वार महायोजना- 2025 की स्वीकृति सम्बन्धित।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितम्बर, 2009 की बैठक में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार, जिलाधिकारी हरिद्वार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरिद्वार एवं प्राधिकारिणी के सभी सदस्यों के साथ प्रारम्भिक विचारोपरान्त बैठक के निर्णय अनुसार हरिद्वार महायोजना- 2025 को अन्तिम रूप दिया गया है।

2- हरिद्वार महायोजना- 2025 को शासन की स्वीकृति को प्रेषण से पूर्व की गयी कार्यवाही पर संक्षेप में वर्णन करना है कि हरिद्वार विकास प्राधिकारिणी की दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 को महायोजना प्रारूप के प्रस्तुतीकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रारूप प्रस्तावों में जनसंख्या, बाग मेला क्षेत्र एवं अन्य उपयोगों के यथाउचित प्रावधान व निरन्तरता पर परीक्षणार्थ निदेशित किया गया। तत्क्रम में समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2006 की अपनी परीक्षण संस्तुति प्राधिकरण की दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। प्राधिकरण द्वारा परीक्षण आख्या के साथ-साथ महायोजना प्रारूप प्रस्तावों पर चर्चा के उपरान्त आपत्ति एवं सुझावों के आकलन हेतु दिनांक दिनांक 05 फरवरी, 2007 से 10 जुलाई, 2007 तक 6 विभिन्न स्थलों क्रमशः हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय, तहसील कार्यालय हरिद्वार, हरिद्वार ब्लॉक कार्यालय बहादराबाद, कलेक्ट्रेट परिसर, गायत्री लोक (शान्ति कुंज), हरिद्वार एवं मेला नियंत्रण कार्यालय, हरिद्वार में लगाई गयी।

3- शासनादेश संख्या- 1940/ V/ आ0-2007-152(आ0)/ 2007 दिनांक 07 नवम्बर, 2007 द्वारा हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2025 पर प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई के उद्देश्य से उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति ने क्षेत्रवार सुनवाई के दिवस लगभग सभी स्थलों का निरीक्षण करने उपरान्त सभी सुझाव व आपत्तिकर्ताओं को क्रमशः अगस्त 06, 21, सितम्बर 18, अक्टूबर 06, नवम्बर 25, 2008 एवं 15 व 16 जनवरी, 2009 को क्षेत्रवार सुना भी गया एवं तद्आधारित अपनी संस्तुति तैयार की गई। जिसका प्रस्तुतीकरण क्रमशः दिनांक 25 मई, 2009 एवं 18 सितम्बर, 2009 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एकमत से महायोजना को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से एस0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम नियाजन विभाग, उत्तराखण्ड को प्राधिकृत करते हुये

Shri Amar Singh

...2

HRD M.P.-Etc.